



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Phone ☎ : 2661263,2737446 Fax: 2737446
Website: bsgmp.net E_mail: bsgmadhyapradesh@gmail.com,

क्र० / 1440 / रा०मु० / लेखा / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.12.2014

श्री/श्रीमती.....
समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी
भारत स्काउट एवं गाइड
राज्य मुख्यालय, संभागीय कार्यालय, जिला कार्यालय(म.प्र.)

विषय :- वचन-पत्र भेजने बाबत ।


-----000-----

विषयांतर्गत लेख है कि भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय द्वारा आपको अप्रैल, मई एवं जून-14 का वेतन वितरित किया गया। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर-14 में वेतन मद में आपको अग्रिम प्रदाय किया गया है।

आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा अप्रैल-14 से नवम्बर-14 तक का वेतन आपके भारतीय स्टेट बैंक बचत खाते में जमा करने की कार्यवाही की जाने वाली है ।

अतः पैरा-एक में दर्शित माहों का भुगतान जो आपको किया गया है कि वसूली एक मुश्त किए जाने की कार्यवाही हेतु संलग्न वचन-पत्र में पूर्ति कर राज्य मुख्यालय को तत्काल भिजवाए ताकि आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा चाही गई जानकारी उनको प्रेषित की जा सके एवं उनके द्वारा अप्रैल-14 से नवम्बर-14 तक की वेतन भुगतान संबंधी जानकारी प्रेषित की जा सके तथा जानकारी में दर्शित राशि आपके व्यक्तिक बचत खाते में जमा करने की कार्यवाही आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल द्वारा की जा सके।

संलग्न :- वचन-पत्र


राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड, म.प्र.



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Phone ☎ : 2661263,2737446 Fax: 2737446
Website:bsgmp.net E_mail:bsgmadhyapradesh@gmail.com,

वचन-पत्र

मैं..... आत्मज.....

पद कार्यालय का नाम.....में

कार्यरत हूँ । मैं निम्न कार्यवाही के लिए वचन बद्ध हूँ :-

-यह है कि वर्ष 2014-15 में शासन द्वारा स्वीकृत पोषण अनुदान आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा राज्य मुख्यालय को उपलब्ध न कराने से उत्पन्न आर्थिक समस्या के निदान हेतु राज्य मुख्यालय भोपाल द्वारा अप्रैल से जून-2014 तक का जो वेतन मुझे भुगतान किया है एवं जुलाई से सितम्बर-14 तक का वेतन मद में जो अग्रिम भुगतान किया गया है। शासन निर्देशानुसार अप्रैल-14 से नवम्बर-14 तक का वेतन आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा मेरे भारतीय स्टेट बैंक में संचालित खाते में वेतन की राशि सीधे जमा की जाती है तो मैं अप्रैल-14 से सितम्बर-14 तक राज्य मुख्यालय के द्वारा मुझे प्रदाय वेतन एवं वेतन अग्रिम की वसूली योग्य राशि एक मुश्त जमा करने की कार्यवाही करूंगा/करुंगी। इसमें चूक होने पर राजस्व संहिता के अनुसार वसूली कराई जा सकेगी ।

गवाह का नाम-.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर वचनकर्ता

नाम-

दिनांक

सत्यापन

मैं..... आत्मज.....

पद कार्यालय का नाम.....

हस्ताक्षर वचनकर्ता

नाम-

दिनांक